4543 The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—काण्ड ३—उप-साण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकाए से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

न्हें दिल्ली, मुळवा, वर्ड 18, 2001/बेमाख 28, 1923 No. 2491

NEW DELHI, PRIDAY, MAY 18, 2001/VAISAKHA 28, 1923

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (बिझान और प्रीक्रोपिकी विभाग) (प्रीक्रीविगती विकास कोई)

अधिस्थना

नई दिल्ली, 16 मई, 2001

सा.का.नि. 370(अ). — प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) की धारा 6 के खंड (क) के साथ पठित थारा 22 की उपधारा (2) द्वारा प्रदृष्ट सक्तिचों का प्रचीन करते हुए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (साम्या पंजी) विनियम, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित चिनियम बनाता है, अर्थाव् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (साम्या पूंजी) संज्ञोधन विनियम, 2000 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. प्रौद्योगिको विकास बोर्ड (साम्या पूंजी) विनिचम, 1998 के विनियम 3 में उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :
 - "(2) बोर्ड किसी कम्पनी के साधारण श्रेयर्रो में, कामकाण पूंजी के लिए मार्जिन राशि सहित परियोजना लागत की 25 प्रतिशत निवेश कर सकता है, परन्तु इस प्रकार का निवेश सम्प्रवर्तकों द्वारा समादत पूंजी से अधिक नहीं होगा और नई कम्पनी की दशा में, बोर्ड सम्प्रवंतकों द्वारा समादत्त की बाने वाली पूंची की गात्रा विनिश्चित कर सकेगा ।"।

[फा. सं. 33/1/97-टी डी बी]

एस. बी. कृष्णन, प्रधान सलाहकार, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

टिप्पणी :--मूल विनियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 668(अ) तारीख 10 नवस्कर, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

(TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2001

G.S.R. 370(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 22 read with clause (a) of Section 6 of the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995), the Technology Development Board hereby 1503 GI/2001

makes the following regulations to amend the Technology Development Board (Equity Capital) Regulations, 1998, namely:—

- 1. (1) These regulations may be called the Technology Development Board (Equity Capital) Amendment Regulations, 2000.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Technology Development Board (Equity Capital) Regulations, 1998, in regulation 3, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—,
 - "(2) The Board may invest in equity shares of a company upto 25 per cent of the project cost, including margin money for working capital, provided such investment does not exceed the capital paid-up by the promoters and in the case of a new company, the Board may decide the quantum of capital to be paid-up by the promoters."

[F. No. 33/1/97-TDB]

S. B. KRISHNAN, Principal Adviser, Technology Development Board

Note:—The principal regulations were published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 668(E) dated the 10th November, 1988.